भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- †829

उत्तर देने की तारीख- 23/07/2026

असम में चाय उत्पादन से जुड़ी जनजातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान करना

† 829. मोहम्मद रकीबुल हुसैन:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का असम में लंबे समय से चली आ रही मांग के अनुसार आदिवासियों या "चाय उत्पादन से जुड़ी जनजातियों", चुटिया, कोच-राजबोंगशी, मटक, मोरन और ताई-अहोम समुदायों सहित वहां की जनजातियों को अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा प्रदान करने का कोई विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ख) क्या सरकार ने असम में उक्त जनजातियों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों की जांच करने के लिए कोई उपाय किए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री

(श्री दुर्गादास उइके)

(क): असम राज्य सरकार से ताई-अहोम, चुटिया, मटक, मोरन, कोच-राजबोंगशी और चाय उत्पादन से जुड़ी जनजातियों को शामिल करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

भारत सरकार ने दिनांक 15.06.1999 को (25.06.2002 व 14.09.2022 को पुन: संशोधित) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों को विनिर्दिष्ट करने वाले आदेशों में समावेशन, से अपवर्जन और अन्य संशोधनों के दावों पर निर्णय लेने के लिए प्रविधियां निर्धारित की हैं। इन प्रविधियों के अनुसार, एक नृवंशविज्ञान रिपोर्ट के साथ प्रस्तावों को संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा अनुशंसित किया गया हो और विधिवत रुप से न्यायोचित माना गया हो। इसके बाद प्रस्तावों पर विचार करने और कानून में संशोधन करने के लिए भारत के महापंजीयक (आरजीआई) तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) की सहमति आवश्यक है। समस्त कार्रवाई इन अनुमोदित प्रविधियों के अनुसार की जाती है।

(ख): असम राज्य सरकार ने सूचित किया है कि:

(i) असम सरकार ने इन समुदायों की सर्वांगीण सामाजिक-आर्थिक स्थिति के लिए मटक स्वायत्त परिषद, मोरन स्वायत्त परिषद और कामतापुर स्वायत्त परिषद, आदिवासी कल्याण और विकास परिषद तथा अहोम और चुटिया समुदाय के लिए विकास परिषदों का गठन किया है। इन परिषदों को अपने समुदाय के लिए विकास योजनाएं शुरू करने के लिए वार्षिक बजट में पर्याप्त निधि आवंटित की गई है।

(ii) समुदाय की तुलनात्मक असमानता को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने इन छ: (6) समुदायों के लिए मेडिकल (चिकित्सा), इंजीनियरिंग कॉलेज, विश्वविद्यालय, आईटीआई आदि शैक्षणिक संस्थानों में विशेष आरक्षण किया है।

(iii) आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए विभिन्न चाय बागान क्षेत्रों में 200 (दो सौ) आदर्श चाय बागान हाई स्कूल स्वीकृत किए गए हैं। अत्याधुनिक सुविधाओं वाले इन स्कूलों ने चाय बागान श्रमिकों और बच्चों के बीच गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के संबंध में एक समग्र बदलाव लाया है। ये स्कूल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कुशल शिक्षकों, प्रौद्योगिकी, स्मार्ट कक्षाओं और छात्रों के समग्र विकास के लिए भविष्य की संभावनाओं और योजनाओं के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त हैं। इनमें से 116 आदर्श चाय बागान हाई स्कूलों को 2023 से पूरी तरह कार्यात्मक बनाया गया है। 2-3 वर्षों के दौरान, इन मॉडल स्कूलों को उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में उन्नत (अपग्रेड) किया जाएगा।
